## शोध सारांश

लोक अदालत में निम्नस्तर के सभी मामलें सम्मिलित होते है। विषय से संबंधित मामलें तय समय सीमा तक ही निपटारे हेतु रखे जाते है। हर महीनें लगनेवाली लोक अदालत इस विषय के अंतर्गत आती है। शोध क्षेत्र अमरावती में 14/02/15 को बैंक संबंधी मामलें निपटारे के लिए रखे गये थे। जिसकी संख्या तालुका, स्तर से कुल संख्या 8100 मामलों में से 444 मामलों का निपटारा लोक अदालत में हुआ । जिससें 1,42,22,464, एक करोड भुगतान कि गये| 7656 मामलें फिर भी किसी कारण वश सुलझाएँ नही गए| इसके विभिन्न कारण हो सकते है, जिससें दोनो पक्षों के बीच सुलह न होना| एक पक्ष की अनुपस्थिति आदी समस्या के कारण उपस्थित हुईं जान पडती है। इन सभी मामलों का तालुक जिला स्तर के तालुका क्षेत्र से है। तथा अमरावती न्यायालय अंतर्गत मामलों की संख्या इस बैंक विषय से संबंधित 97 मामलें निपटारे हेतू रखे गये थे, जिसमें 13 मामलों का निपटारा किया गया। तथा 952484 रूपये का भुगतान निपटारों द्वारा किया गया, फिर भी इस बँक से संबंधित विवाद 84 शेष मामलें सुलझ नही पाये है।

भूमि अधिग्रहण विवाद मामलों की संख्या जिला स्तर 14/03/2015 की लोक अदालत में रखे गसे थे, तथा अमरावती न्यायालय में इस तिथी की 244 मामलें रखे गयें जिसमें केवल 01(एक) मामला ही सुलझ सका है। 243 मामलें अभी भी प्रलंबित है । जिसका न्याय निर्णय अभी नही हो सका है। इिक इसी प्रकार जनवरी, 2016 से, दिसंबर, 2016 की स्थिति है जिसमें 80000 के उपर मामलों का निपटारा लोक अदालतों से होना बाकी है।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सामाजिक न्याय की अवधारणा हाशियें के समाज के वर्तमान जीवन और समस्याओं को आकलन किया गया है। जिसमें यह देखा गया है कि कोई भी मनुष्य अपराधी अपने जन्म से नही होता| तथा वह अपने से सशक्त व्यक्ति से कभी भी कोई विवाद नही करता। जो विवाद, झगडा, उपस्थित करने में आर्थिक रूप से अधिक सक्षम तथा आर्थिक रूप में अत्याधिक पीछडे होते है। जिनको अपना हक उन्हे भविष्य की कुंजी के समान प्रतित होता है, किसी भी समस्या के समाधान के लिए लोंगो को समय और संपत्ती की आवश्यकता होती है। अमरावती क्षेत्र भी ऐसा ही क्षेत्र है जहाँ पर हाशियें समाज के लोग अपनी जिंदगी से खुशी जाहिर करते है। किन्तु वे उन सभी समस्याओं से घुलमिल गये है| जिससें उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्यायिक क्षेत्रों से समस्याएँ उत्पन्न है, आज इन सभी

व्यवस्थाओं के रूप मे शोधार्थी द्वारा लोक अदालत लोगों को किस प्रकार न्याय देने में सक्षम है, या नहीं ? इस सवाल को लोक अदालत द्वारा जनवरी, 2015 से दिसंबर, 2015 तथा जनवरी, 2016 से दिसंबर, 2016 में आयोजित विभिन्न लोक अदालतों तथा उन विषयों का अध्ययन किया है।

क्षेत्र में प्राप्त लोक अदालत की संख्यासूचि प्राप्त हूई है। जिससे यह लगता है कि लोक अदालत की ऐसी दयनिय स्थिति है |तो नियमित अदालतों की क्या स्थिति होगी? शोधार्थी द्वारा गहन अध्ययन के बाद यह पता लगा है कि अमरावती जिला, क्षेत्र से तमाम तालुका समिती के अंतर्गत 33462 मामलें, लोक अदालत ,महालोक अदालत में रखे गये थे, जिसमें 12465 मामलें ही लोक अदालत और महालोक अदालत 2015 के अंतर्गत सुलझाएँ गये है । शेष मामले बचें है उनमे 32216 मामलें को अभी भी न्याय नहीं मिला है। । किसी भी मामलें के दोनो पक्षों की आपसी रजामंदी न होने के कारण ही इतनी बडी मात्रा में मुकदमें प्रलंम्बित रहे है। इन तमाम समस्याओं से यह प्रतित होता है की लोग अपने विवादों के प्रति या इससे प्राप्त समाधान को न्याय की दृष्टी से देखेते ही नही हैं।

व्यवस्था की तह तक हाशियें के समाज को विभिन्न समस्याओं से जकड रखा गया हो, वर्तमान साल की शुरवात में भी जनवरी, 2016 से दिसंबर 2016 में लोक अदालत एवं महा लोक अदालत का आयोजन हुआ है इसमें 31702 कुल मामलें निपटारे के लिए रखे गयें है। किन्तु 778 मामलें ही जिला स्तर पर निपटाये गये है। तथा शेष मामलों की संख्या 30924 रह गई है। यह तो जिला तालुक समिति के अंतर्गत मामलों की ही संख्या है। अमरावती न्यायालय के अंतर्गत प्रलंम्बित मुकदमो के विषय में मुकदमों की कुल संख्या 145033 लोक अदालतों में रखी गई थी। इसमें से सुलझाए गये मामलों की कुल संख्या 3276 थी तथा शेष मामलों की संख्या 10757 है। यह संख्या 2015 की है। तथा आज वर्तमान संदर्भ में जनवरी 2016, दिसंबर 2016 तक लोक अदालत में रखे गये मामलें ही लोक अदालतों से सुलझाए गये है। किन्तु ताप्तर्य यह है कि लोक अदालतों से भी इन मामलों का संपुर्णत: से निपटारा नही हो रहा है। इसका तात्पर्य लोग लोक अदालतों से भी न्याय से कोसो दूर खडे है। आज इस व्यवस्था से भारतीय न्याय व्यवस्था का अविकास, लोगो को अपने न्यायपालिका से न्याय न होने की अनुभुति द्वारा हो रहा है।

लोक अदालतों द्वारा जो मामले सुलझाएँ जा चुके है उनमें से वर्ष 2015 में 5,97,85,592/- रूपये का भुगतान लोक अदालतों से हुआ था वही यह संख्या सन-2016 की लोक अदालतों के निपटारें से 8,15,94,936 रुपयें के रूप में भुगतान किये गये है। 2015/16 साल के जिला तथा शहर क्षेत्र के मामलों को मिलान करने पर हमें प्रलंबित मामलों की कुल संख्या, 81685 मामलें अमरावती जिला तथा शहर क्षेत्र में प्रलंबित है तथा इन सभी मामलों के कारण न्यायपालिका शोध क्षेत्रमें क्षतिग्रस्त स्थिति में है इसका अंदाजा आता है। सालों से पडे इन मामलों में इजाफा होना निश्चित लगता है, जो मामलों की रफ्तार बढती ही जा रही है। किन्तु अदालतों की व्यवस्था आज भी अंग्रेजी हुकुमत की रहमियत में ही समाई हुई है। यह स्वंतत्र भारत की जनता की दयनीय स्थिति आझादी के 69 सालों बाद भी बनी हुई है।

यह इस लोकतंत्र, न्यायव्यवस्था का खोकला पण ही है जो इस अदालतों के बारे में कोई भी सुधार नही हो रहा है। गरीब लोग न्याय से ऐसे वंचित रह जाते है| इन सभी मामलों की तह तक जाने के लिए विभिन्न विद्वानों ने भारत के स्वतंत्रता पूर्व ही जो संकेत दिये थे वे आज भी यथार्थ रूप में प्रतित हो रहे है| गरीबी, शोषण, भ्रष्टाचार, निर्धनता, निरक्षरता, व्यसनसधिनता, हाशिये के समाज का वर्तमान है। जो भारत की जनसंख्या के स्तर पर मुकदमों का पहाड अदालतों की गर्दन पर बैठा है, कुछ ऐसे ही शब्दों में गांधीजी द्वारा कथन किया गया था। लोगों के आपसी रिश्तों में की दुरी बढती ही जाती है। तथा इससे समाज में अत्याधिक असमजस्य की स्थिति देखी जा सकती है। इसलिए शोधार्थी का मत है की इस समस्या से निजात पाने हेतु अदालतों से शिघ्र एवं गंभीरता पूर्वक अपने न्यायिक कार्यो का निर्वाह किया जाना प्रासंगिक बना है। लोक अदालतों को बेहतर बनाने के लिए लोगों को अपनी द्वेष मुलक भावनाओं को विराम देकर राष्ट्रीय भावना,एकता,भाईचारा, दोस्ती का दौर अदालतों की स्थिति सुधारने के रूप में करना आवश्यक बन गया है। लोक अदालत व्यवस्था गांधीजी के विचारों पर यह अत्यधिक प्रासंगिक  प्रतित हो रही है। उन्होने कहा था,लोग अपने मुकदमें स्वयं समाप्त कर इन विवादो को शिघ्र आपसी रजामंदी द्वारा हल किया जाना चाहिए। जिससे न्याय व्यवस्था का विकास किया जा सके।

**हाशियें के समाज की समस्या**

वर्तमान समाज जीवन जटिल बनता गया है। अमीर लोग और अमीर बनते जा रहे है। ठीक ऐसे ही गरीब लोग और गरीब बनते जा रहे है। जिससे सामाजिक विकास में असमानता निर्माण हुई है। जिसका मूल कारण भूत, भविष्य, वर्तमान, स्तर पर अत्याधिक असंवेदनशिल बन गया है |मानव समाज अविकास की ओर बढ़ रहा है। आज हाशियें के समाज की विभिन्न समस्याएँ दूष्टीगोचर हो रही है। जिसमें मुख्य:ता अशिक्षा, अज्ञान, जनसंख्या में बढोत्तरी, निर्धनता, बेरोजगारी, असमानता, असंतोष, नशापान, स्वास्थ्य, डेंगू, रक्त संक्रमण जैसी घातक बिमारिया हो रही है। आज महंगाई के साथ-साथ ही कृषी क्षेत्र का स्तर घटता जा रहा है। किसान आत्महत्याएँ कर रहे है |किसानों पर अत्यधिक कृषि कर्ज होने के कारण उनका सामाजिक स्तर घटता जा रहा है| प्राकृतिक आपदाए मानव जीवन पर अभिशाप बनती जा रही है। जीससे अकाल, भूकंम्प, बाढ से निर्मित असंतुलन पैदा कर रहे है|निर्धनता के कारण दहेज प्रथा, बाल विवाह, अपराध, बाल अपराध, यौन उत्पीड़न, बलात्कार, महिलाओं पर होता ॲसिड अटॅक, मद्यपान, जातिवाद, विवाह-विच्छेद, दलित अत्याचार, व्यभिचार, वेश्या व्यवसाय, किसान आत्महत्याए इन तमाम समस्याओं का मूल कारण हाशियें के समाज की स्थिति हाशियें की बन गई है |

**लोक अदालत की राजनितिक भूमिका एवं दृष्टिकोन :-**

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित राजनैतिक न्याय की धारणा लोक अदालतो के आयोजनों से सक्षम एव मौलिक साबीत हुई है। यह प्राकृतिक न्याय की उपलब्धता एवं सुनिश्चितता के रूप में है। जिस प्रकार राजनिति का अर्थ राजा की नीति से है जो लोकनीति, लोकतंत्र या कहे सुशासन की नीति ही राजनितिक न्याय की धारणा को बल देती है। सामाजिक न्याय इसी का प्रतिरूप है। जो समता, बंधूता, एकता, को लोक अदालत एंव राजनितिक दृष्टीकोन से जोडती है।

- **लोक अदालत की धार्मिक भूमिका एवं दृष्टिकोन :-** लोक अदालत यह लोगों के मन में 'पंच परमेश्वर' की धार्मिक भावना को जन्म देती है। भारत की प्राचीन ऋषियों की परंपरा का ही रूप आधूनिक स्तरों पर दृष्टिगोचर हुआ है। लोक अदालत में किसी भी एक पक्ष का

समाधान न होकर दोनों पक्ष अपनी आपसी रजामंदी से अपने प्रलंबित विवाद को विराम देते है। तथा नयें धार्मिक कृत्यों के लिए एक दुसरे को प्रवृत्त करते है। यह लोक अदालत के धार्मिक मुल्यों को उजागर करते है। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के मुलमंत्र 'सबका साथ, सबका विकास और सबका न्याय' इस संकल्पना को अत्याधिक बल देती है।

- **लोक अदालत की सामाजिक भूमिका एवं दृष्टिकोन :-** शोध क्षेत्र में यह देखा गया है कि, लोक अदालतों का सकारात्मक प्रभाव होता है । लोगों के विवाद जों सालों से प्रलंबित थे| उनसे लोगों की भावना जो प्रतिपक्ष के विरूध्द अच्छी नहीं रहती थी, वह इस लोक अदालत में आपसी सहमति, रजामंदी से लोगोंके भावनात्मक रूप में बदलाव देखने को मिलता है, जिससें दोनो पक्षो को अदालतों के चक्कर लगवाने से राहत मिलती है, जिससें दोनो पक्षो को अदालतों से न्याय मिलता है। तथा आपसी सहयोग भावना जागृत होती है।

- **लोक अदालत की आर्थिक भूमिका एंव दृष्टिकोन :-** लोक अदालतों के आयोजनों से तुरंत निपटारा होता है। जिससे लोगों को अत्याधिक धन खर्च नहीं करना पडता। और उनकें धन एवं खर्चो में कमी आती है। लोगों द्वारा इसी धन का उपयोग परिवार के लिए खर्च कर समाधान व्यक्त किया जाता है। लोक अदालत में किसी प्रकार की फीस नही लगती। यह पूरी तरह निशुल्क होती है, तथा सस्ते एवं शिघ्र न्याय की गांधीवादी विचारधारा को सही साबित करती है। लोगों को किसी भी प्रकार का कोई धन खर्च नही करना पडता है। यही लोक अदालत की विशेषत: है, तथा फैसला होने पर सभी कोर्ट फीस वापस हो जाती है।

**शोध प्रश्नावली विश्लेषण**

प्रश्नावली के अनूरूप

- सवाल-8 पर विभिन्न वकीलों का मन अपनी सहमती दर्शाता है। वह मानता है कि, नियमित अदालतो से हाशियें के समाज के लिए न्याय प्राप्ति में विलंब एवं खर्चो में बढोत्तरी होती है।

- सवाल-9 के जवाब में वकिलों ने कहा कि न्यायिक कार्यप्रणाली एवं नियमित अदालतों मे लोक अदालतों जैसा सुधार चाहते है।

- सवाल, 10 के जवाब में वकीलों का मत असंतुष्ट रहा है। जिसमें वह लोक अदालतों के आयोजनों से संतुष्ट नहीं है।
- सवाल-11 के जवाब में वकिलों का मत नियमित अदालतों में न्याय में विलंब होने के कारण हाशियें के समाज को न्याय से वंचित रहना पडता है।
- सवाल-12 के जवाब में वकीलों का मत है कि धनराशी के अभाव से हाशियें के समाज को अदालतों में समस्याओं से ग्रासित पाया है।
- सवाल-13 के जवाब में वकिलों का मानना है कि, नियमित अदालतों में सबूत, गवाह और तारीख पर तारीख का सामना करना पडता है।
- सवाल-14 के रूप में वकीलों का मत, हाशियें के समाज को नियमित अदालतों में तारीख का सामना करना पडता है।
- सवाल-15 के जवाब में वकीलों का मत है की, लोक अदालत नियमित अदालतों का पर्याय नहीं बन सकता।
- सवाल-16 के जवाब में वकीलों का मानना है कि, नियमित अदालतों में हाजिर होनेवाले हाशियें के समाज के बुजूर्गो, महिलाओं, बच्चों की असुरता एवं समस्याओं का डर सताता है। और यह लोक अदालतों में निर्भय रहते है।
- सवाल-17 के जवाब में वकीलों का मत है की, नियमित अदालत एवं लोक अदालत में हाशियें के समाज के सहभागी गवाहों की वादी प्रतिवादी पक्ष से धमकी, मारपीट से डर लगता है।
- सवाल-18 के जवाब में वकीलों का मत है कि, हाशियें के समाज के वादी प्रतिवादी पक्ष के लोगों को लोग अदालतों में सामिल होने मे अन्य गावों, देहातों से आने जाने में समस्याएँ उत्पन्न होती है।
- सवाल-19 के जवाब में वकीलो का मत यह है कि, हाशियें के समाज को लोक अदालत में कोई कानूनी कार्यवाही के लिए राशी खर्च करनी पडती है।

- सवाल-20 के जवाब में वकीलों का मत है कि , हाशियें के समाज के लिए लोक अदालत नियमित अदालतों का पर्याय नही लगता है।
- सवाल-21 के जवाब में वकील अपनी राय नही दे सके जिसमें लोक अदालत हाशियें के समाज को न्यायिक समानता देनें में सक्षम है।

संबंधित सभी जवाबो का अध्ययन करने पर यह तथ्य सामने आता है कि, लोक अदालत सिर्फ अदालतों से छुटकारा दे सकता है, लेकिन न्याय को हासिल करना नियमित अदालतों में हो सकता है। जिसका अत्याधिक नुकसान होता है। वह लोक अदालतों में रजामंदी, तथा प्रतिपादन के अनुत्साह के स्तर पर नियमित अदालतों का विकल्प पसंद करता है।

**महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण,मुंबई**

महिलाओं, बच्चो, की तस्करी और लैंगिक शोषण में मृत लोगों के लिए, राज्य सरकार और केन्द्र भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी :-

**महिलाओं को सरकारी आवास व्यवस्था :-**

16 से 60 आयु की महिलाओं तक, निरक्षित, अज्ञानी, विधवा, कुवांरी माता, समस्याग्रस्त, यौन शोषित महिलाओं के लिए आवास की व्यवस्था, सुरक्षा, जरूरी सुविधाएँ, उन्हे रोजगार और विवाह के लिए सहायता सरकार की तरफ से 16 जिला क्षेत्रों में 20 महिला आवासालय निर्मान और कार्यरत है। जरूरतमंद महिलाएइस स्थल पर 2 से 3 साल तक रह सकती है।

**महिला सुरक्षा आवास :-**

महिला खरीद उपरोक्त के (धंदे पर प्रतिबंध) अधिनियम, 1956 अनुसार, पुलिस द्वारा जिन महिलाओं की वेश्यालयों से छुडा कर, उन महिलाओं की मर्जी और रजामंदी से सुरक्षा प्रदान कर, उनका जीवन सुधार करने हेतू सरकार की ओर से 2 महिला सुरक्षा आवास की व्यवस्था कि गई है, इन आवासों मे महिलाओं की, भोजन, वस्तु, आवास, ईलाज की सुविधा

दी जाती है, जिन मिहलाओं को परिवार अस्विकार करता हों उन्हे, स्वरोजगार, शिक्षा, नौकरी देकर उनका जीवन सुधार कार्य किया जाता है।

**आधार आवास एवं सुधार मातृ आवास योजना:-** 16 से 60 की उम्र वाली महिलाओं के लिए हाशियें के समाज और समस्याओं से ग्रस्त महिलाओं के लिए छत्र, सुरक्षा, भोजन, आवास आदी से युक्त सुविधा देकर उनका विकास साधा जाता है। इस योजना द्वारा निम्न लिखित योजनाओं को सुधारू रूप से चलाया जाता है।

1. सरकारी महिला आवासालय
2. महिला सुरक्षा आवासालय
3. आधार आवासालय तथा माँ आवास योजना
4. स्वयंरोजगार हेतु महिलाओं को व्यक्तिगत अनुदान
5. कम समयाअवधी पर आवास
6. स्वआधार
7. बच्चों के लिए लालन-पालन योजना
8. बच्चों के लिए आवास (सरकारी/संस्थाओ द्वारा)
9. निराधार, निरक्षित बाल आवास
10. निरक्षित बच्चों के लिए बालसदन
11. बालक सूचनाकेन्द्र, बालक अस्पताल चलाने हेतू विविध संस्थानो की अनुदान योजना
12. रास्ता भटकतें बच्चों को विकास योजना
13. शिशु आवास
14. मनोधैर्य योजना

15. महाराष्ट्र मे मृत व्यक्ति को मुआवजा, योजना 2014

16. बाल लैंगिक हिंसा प्रतिबंद कानुन-2012 इन सभी योजनाओं के लाभ हेतु, (1) महिला बाल विकास, तथा (2) भारत सरकार जो महिला बालविकास विभाग, () गृह विभाग तथा विधि सेवा प्रधिकरण द्वारा चलायी जाती है।

शोध प्रविधि

इस शोध कार्य में शोध प्रविधि के रूप में गुणात्मक पद्धति में प्रमुख रूप से वस्तु विश्लेषण और आधारित सिद्धान्त का प्रयोग किया गया है। इसी तथ्यों की शोध कार्य में उपयोग कर जानकारी इसी तथ्यों की शोध कार्य में उपयोग करे जानकारी एकत्रित की गई है। तथा मात्रात्मक पद्धति के अंतर्गत शोधार्थी ने शोध प्रश्नावली का निर्माण किया और साक्षात्कार, असहभागी अवलोकन खेत्र निरिक्षण आदि पद्धतियों का भी उपयोग किया है।

प्राथमिक स्रोत –

- अनुसूची साक्षात्कार
- असहभागी अवलोकन/निरिक्षण
- क्षेत्र निरिक्षण
- शोध प्रश्नावली
- वैकल्पिक अध्ययन

द्वितीय स्रोत –

- पूस्तके
- पत्रिकाएँ
- लेख आदि

शोध समस्या –

किसी भी कार्य करने में कुछ समस्याएं उत्पन्न होती है। इसी तरह मेरे शोध कार्य में भी समस्याएँ उत्पन्न हुई है तथा इस समस्याओं को पार करने हेतू मैंने अत्यधिक प्रयास किया है। प्राथमिक स्रोतों की सही ढंग से अध्ययन करना मेरे शोध कार्य के प्रति मेरा विश्वास और अधिक बढ़ा। इस अध्ययन के बाद सही तथ्यों को विश्लेषित करना अत्यधिक चुनौतिपूर्ण कार्य साबित हुआ है। वहीं मेरे शोध कार्य में एवं अधिनियम, राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण, 1987 से संबंधित होने के कारण इसे लोक अदालत के घटनाक्रम में विश्लेषण करना अत्यधिक उत्साहपूर्ण साबित हुआ जो समस्याएँ थी वह काफी हद तक नियंत्रण में रखकर अध्ययन कार्य किया गया है। तथा शोधार्थी ने अपनी शारिरिक पीड़ा को झेलकर भी इस कार्य को तय सीमा में पूर्ण करने का प्रयास किया है।

प्राकल्पना –

लोक अदालत में सामाजिक न्याय कि धारणा को यथार्थ में लाभ हो रहा है, इसका अध्ययन करना। हाशियें के सामाज और लोगों की क्या समस्याएँ थी। इसकी जानकारी प्राप्त करना। नियमित अदालतों का पर्याय लोक अदालत इस संदर्भ में ज्ञान प्राप्त करना।

समाज कल्याण की वृद्धि –

विभिन्न सामाजिक बुराइयों के मूल में अज्ञान किया है। किसी भी विवाद, झगड़े, समसया के लिए कारण, सांम्रदायिक कलह, मतभेद, जातीय श्रेष्ठता, वर्णभेद इत्यादी कल्पनाएँ अज्ञान पर आधार बनी रहती है। इस शोध कार्य की भूमिका सामाजिक एकता, अखंडता, बंधूता, मैत्रि, बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।